अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/135

महावीर प्रसाद आयु 63 वर्ष आत्मज श्री घांसी लाल जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 11/दावा/2011

महावीर प्रसाद आयु 63 वर्ष आत्मज श्री घांसी लाल जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.12.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कृष्णदत्त दाधीच एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं-वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/135

महावीर प्रसाद आयु 63 वर्ष आत्मज श्री घांसी लाल जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं नियमन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अन्धोरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 593 रकबा 0.55 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी पिछले 30 वर्षो से काबिज काश्त है जिसका लगान शास्ति वादी जमा करवाता आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 निरस्त फरमया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गैर मु0 नाला दर्ज है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस 80 सीपीसी प्रदर्श– 1 संलग्न है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस प्रदर्श– 4 लगायत 9 संलग्न हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– 10 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि नदिया तथ नाले दर्ज है । नकल खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श – 11 से 21 संलग्न है ।

10. बयान महावीर पीडब्ल्यू–1, राजू पीडब्ल्यू–2 गोपाल पीडब्ल्यू– 3 कराए हैं ।

11. वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक गै0मु0 नाला दर्ज है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है । माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा